

संख्या 185  
17/4/07



नवीनीकरण संख्या 256-2007-2008 (F-21)

फाइल संख्या F-14844

एतदाप्ता प्रमाणित किया जाता है कि राजा कान्ह डिग्री कालेज शिक्षा

समिति

ग्राम ५ धो०-जगेसरगज, तह०-गोरीगज, जिला-सुलतानपुर।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र संख्या 1004/2001-02

दिनांक 06/02/2002 को दिनांक 06/02/2007 से पांच वर्ष की अवधि

के लिए नवीकृत किया गया है।

280 रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 16/04/2007

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AA 403253



(4)

## संशोधित स्मृति - पत्र

1. संस्था का नाम
2. संस्था का पता
3. संस्था का कार्यक्षेत्र
4. संस्था का उद्देश्य

V.B.Rao

M.Singh

S.Singh

R.Singh

कल्पेश लड्डुरसिंह

A.K.Singh

B.Singh



छातिला नवांग संघीय अधिकारी

प्राधिकारक  
कल्पे संवितेश लड्डु चिट्ठा  
कल्पाचार्य (उ० ५०)  
३४/०९/१२००

1. राजा कान्ह डिग्री कालेज शिक्षा समिति
2. ग्राम व पोस्ट- जगेसरगंज, तहसील-गौरीगंज जिला- सुलतानपुर (उ०प्र०)
3. सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. यह चैरीटेबिल संस्था है। यह संस्था राजा कान्ह द्रास्ट द्वारा संचालित होगी।
5. छात्र-छात्रा के शैक्षिक समुन्नयन हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना।
6. जाति, पंथ तथा वर्ग भेद रहित सचरित्र एवं राष्ट्र भक्त नागरिक बनाने हेतु उचित शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
7. बालक/बालिकाओं की व्यावसायिक एवं शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करना।
8. कम्यूटर, व्यवसाय, प्रबन्धन, होटल एवं यात्रा प्रबन्धन, सूचना तकनीकी आदि की शिक्षा की व्यवस्था करना।
9. पुस्तकालय विज्ञान, शिक्षा की व्यवस्था करना।
10. हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जर्मन, फ्रेन्च, रसियन आदि भाषाओं के समुन्नयन एवं प्रचार-प्रसार हेतु विद्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास स्थापित करना तथा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।
11. एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद एवं यूनानी आदि सभी प्रकार के विकास, उत्थान, प्रसार हेतु कार्य करना।
12. देरोजगारी दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोलना व संचालित करना।
13. शिक्षा के उन्नयन के तृहृद रूप में- उच्च शिक्षा, ग्रामीणों तकनीकी शिक्षा (प्राविधिक), अनौपचारिक शिक्षा, ...। शिक्षा, कृषि को संचालित करना।

5. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनका संस्था के इस समृद्धि पत्र के संस्था के नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया।

क्र०	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
------	-------------------	-----	----	---------

V.B.Rao ५	डॉ० विजय बहादुर राय पुत्र श्री राजनाथ राय	महादेवपुरम (निकट इंजीनियरिंग कालेज) पो० कूडाघाट जिला—गोरखपुर	संरक्षक	सेवानिवृत्ति
<i>R.Singh</i> ६	डॉ० भानु प्रताप सिंह पुत्र श्री शम्भू नाथ सिंह	गीता निकेतन, लाल डिम्ही अध्यक्ष सुलतानपुर	अध्यक्ष	नौकरी
८	डॉ० मदन मोहन सिंह पुत्र श्री कन्हैया सिंह	सेठ श्याम सुन्दर कालोनी पावर हाउस के पास पो० कादीपुर, सुलतानपुर	उपाध्यक्ष	नौकरी
७	३० सूर्यप्रकाश सिंह पुत्र श्री अवधेश नारायण सिंह	ग्रा० व पो० जगेसरगंज प्रबन्धक सुलतानपुर	प्रबन्धक	नौकरी
८	प्र०० राजेन्द्र प्रसाद सिंह श्री काशी प्रसाद सिंह	पटेल नगर, पो० कादीपुर उपप्रबन्धक सुलतानपुर	नौकरी	
९	श्री बन्देश बहादुर सिंह पुत्र श्री हर विलास सिंह	ग्रा० भवनशाहपुर पो० पर्वतपुर, कोषाध्यक्ष सुलतानपुर	नौकरी	
१०	डॉ० आमोद कुमार सिंह पुत्र श्री रमाशंकर सिंह	पटेल नगर (हाईडिल कालोनी लेखापरीक के पीछे) दरियापुर, सुलतानपुर	नौकरी	
११	डॉ० चन्द्रमूर्ण सिंह पुत्र श्री विष्णुदेव सिंह	पटेल नगर (हाईडिल कालोनी के पीछे) दरियापुर, सुलतानपुर	सदस्य	नौकरी
१२	डॉ० ओंकारनाथ द्विवेदी पुत्र श्री राम अक्षेवर द्विवेदी	पटेल नगर (हाईडिल कालोनी के पीछे) दरियापुर, सुलतानपुर	सदस्य	नौकरी
१३	श्री शीला बख्श सिंह पुत्र श्री राम अभिलाष सिंह	ग्रा० शिवनगर, पो० हरगाँव, सदस्य जिला—सुलतानपुर	सदस्य	नौकरी

### सत्य प्रतिशिष्ठा

उप निदन्धक  
समृद्धि पत्र का चिन्ह  
कलापाद (३०३०)  
दिनांक ०१/०१/२००७

6 हम गिन्हे हस्ताक्षरकर्ता सूचित करते हैं कि हमने इस सृति पत्र के तदर्य तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का मठन किया है :-

दिनांक 4-02-07



हस्ताक्षर

V.B.Rao

Myl

N.Myl

S.Singh

R.N.Singh

अन्देश बहादुर रखें

A.K.Singh.

C.Singh

अमर राम

अमर राम

संघ प्रतिलिपि  
ना. निदानक  
पार्ट एनो. ८०, तथा चिट्ठा  
फैलावाद (१० %)  
३१/०१/२००७

6 हम गिन्हे हस्ताक्षरकर्ता सूचित करते हैं कि हमने इस सृति पत्र के तदर्य तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का मठन किया है :-

दिनांक 4-02-07



हस्ताक्षर

V.B.Rao

Myl

N.Myl

S.Singh

R.N.Singh

अन्देश बहादुर रखें

A.K.Singh.

C.Singh

अमर राम

श्रीतला नहरा रखें

संघ प्रतिलिपि

ना. निदानक  
पार्ट एनो ना. तथा चिट्ठा  
फैलावाद (प० %)  
ता. 109 12007

6 हम गिन्हे हस्ताक्षरकर्ता सूचित करते हैं कि हमने इस सृति पत्र के तदर्य तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एवं 1880 के अन्तर्गत एक समिति का मठन किया है :-

दिनांक 4-02-07



हस्ताक्षर

V.B.Rao

Myl

N.Myl

S.Singh

R.N.Singh

अन्देश बहादुर रखें

A.K.Singh.

C.Singh

B.Singh

श्रीतला नेहोडा रखें

संघ प्रतिलिपि

ना. निरन्तरक  
फर्म संसाधन तथा चिट्ठा  
संसद च० ५८  
दिनांक 4-02-07

## नियमावली

1. संस्था का नाम

2. संस्था का पता

3. संस्था का कार्यक्षेत्र

4. संस्था का उद्देश्य

5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्गः

राजा काल्ह डिग्री कालेज समिति  
ग्राम व पोर्ट-जगेसरगज, तह0- गोरीगज  
जिला- सुलतानपुर(उ0 प्र०)

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

समृद्धि पत्र के अनुसार

*S. Singh*  
*A.K. Singh*  
*(B.M.B)*



6. सदस्यता की समाप्ति:

अच्छे चरित्र एवं शिक्षा संस्था से प्रेम करने वाला जो व्यक्ति  
इस संस्था की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है वह प्रबन्धक के  
नाम एक प्रार्थना पत्र लिखित रूप से सदस्यता शुल्क सहित देगा  
तदुपरान्त प्रबन्धक उसे बताएँ सदस्य पंजीकृत कर सकता है एवं  
प्रबन्धक सदस्य को सदस्यता शुल्क की रसीद भी निर्गत करेगा।  
सदस्य को संस्था के नियमों एवं विनियमों के पालन करने व  
मानने के लिए लिखित रूप से ~~प्राप्त~~ ववनवद्ध होना अनिवार्य होगा।  
सदस्यों के वर्ग निम्न होंगे:-

अ- संरक्षक सदस्यः

डॉ विजय बहादुर राव इस संस्था के संरक्षक  
सदस्य होंगे।

ब- आजीवन सदस्य: रुपय 5000/- सदस्यता शुल्क देकर सदस्य  
बनने वाले संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

स- विशिष्ट सदस्यः कोई भी व्यक्ति संस्था को नगद रुपये 10,000/-  
घनराशि जमाकरके अथवा इतने ही मूल्य की घल -अचल सम्पत्ति  
देकर संस्था को विशिष्ट सदस्य बन सकता है।

द- सामान्य सदस्यः रुपय 50/- नकद घनराशि नासिक  
जमा करके कोई भी व्यक्ति साधारण सभा का ~~सदस्य~~ सदस्य बन  
सकता है। परन्तु सामान्य सदस्यों को चुनाव से पूर्व 6माह से  
लगातार सदस्य होने की दशा में ही चुनाव में भाग लेने का अधिकार  
होगा। सदस्यों को 18वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

1. मृत्यु, पागलपन, दीवालिया, अदालत द्वारा नीतिक अपराधी  
घोषित होने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

*समाप्ति तारीख  
प्राप्ति वर्ष*

(2)

- ii. संस्था के हितों के विरुद्ध आचरण करने पर किसी भी सदस्य की साधारण सभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत करके सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
- iii. संस्था में किसी भी लाभ के पद पर नियुक्ति होने पर संस्था से सदस्यता खत्त समाप्त हो जायेगी।

iv. त्याग पत्र देने पर।

7. संस्था के



- i. साधारण सभा
- ii. प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधारण सभा:

गठन: संस्थाक, विशेषज्ञ सदस्य, आजीवन सदस्य तथा सामान्य सदस्य समवेत रूप में साधारण सभा का गठन करेंगे।

वैठकः ज्ञाधारण सभा की वैठकों दो प्रकार की होंगी—

क- सामान्य वैठक: सामान्यतः यह वैठक शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व मई/जून में हुआ करेगी।

ख- विशेष वैठक: किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की अनुमति से अथवा साधारण सभा के 1/3 सदस्यों की लिखित मांग पर बुलाई जायेगी। साधारण सभा की सामान्य व विशेष वैठक अध्यक्ष की सहमति से प्रबन्धक द्वारा बुलाई जायेगी।

ग- प्रबन्धकारिणी समिति के चुनाव हेतु हर पार्चवे वर्ष साधारण सभा की वैठक बुलाई जायेगी। साधारण सभा की सामान्य व विशेष वैठक अध्यक्ष की सहमति से प्रबन्धक द्वारा बुलाई जायेगी।

वैठक की सूचना अवधि: प्रबन्धकारिणी समिति के नियंत्रित के लिए 15 दिन एवं सामान्य कार्यों के लिए भावत 7 दिन पूर्व दी गई सूचना पर्याप्त समझी जायेगी।

सत्य प्रतिक्रिया: सूचना डाक द्वारा या व्यक्तिगत सम्पर्क करके दी जायेगी। व्यक्तिगत सूचना में सदस्यों का सूचना प्राप्ति विधिक हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विद्युत रूप से सूचना के साथ वैठक का स्वान, तिथि, समय व विचारणीय विषयों की सूची सलग्न होगी।

गणपूर्ति: सभा की कार्यवाही चलाने के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति के अभाव में 30 मिनट प्रतीक्षा वाल वैठक रथगित कर दी जायेगी।

विशेष वैठक  
सूचना दर्ता  
11.07.2002  
A.S.

(3) पुनः स्थानित वैठक युलाई जाने पर गणपूति की बातें नहीं होगी। किन्तु स्थानित वैठक में केवल पिछली वैठक के प्रसारित विषयों पर ही विचार होगा। साधारण सभा की वैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। यदि वैठक के समय से आधे घंटे तक अध्यक्ष नहीं आएंगे तो वैठक उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी यदि उपाध्यक्ष की अनुपस्थित रहेंगे तो उपरिख्यत सदस्यमण वैठक घलाने हेतु विशिष्ट सदस्यों में से चेयरमैन का चुनाव करके वैठक चलाएंगे।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि: साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा। जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति सुनिश्चित करेगी।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:

S.Singh

A. K. Singh  
B.L.L.

कैलाली

9. प्रबन्धकारिणी समिति:

गठन :



वैठकों  
सदस्य प्रतिनिधि

प्रबन्धकारिणी  
समिति का दस्तावेज़  
क्रमांक ४३५ (४० प्र०)

प्रबन्धकारिणी में कुल 10 सदस्य होंगे। साधारण सभा संरक्षक को छोड़ कर प्रबन्धकारिणी समिति के शेष पदाधिकारियों का चुनाव करेगी। जिनमें पदाधिकारी (i) संरक्षक (ii) अध्यक्ष एक (iii) उपाध्यक्ष एक (iv) प्रबन्धक एक (v) उपप्रबन्धक एक (vi) कोषाध्यक्ष तथा (vii) लेखापरीक्षक एक तथा तीन सदस्य होंगे। प्राचार्य तथा तीन शिक्षक और एक सदस्य तृतीय श्रेणी का वरिष्ठता क्रम में चक्रानुसार एक दर्पण के लिए प्रबन्ध समिति में अलग से सम्मिलित होंगे जो ३० राम मनोहर लोहिया अवदि विठ्ठल फैजावाद की परिनियमावली के प्राधिकारों के अनुसार है।

प्रबन्धकारिणी समिति की वैठक की अध्यक्षता की सहमति से प्रबन्धक द्वारा युलाई जायेगी। प्रबन्धकारिणी समिति के 1/3 सदस्यों को लिखित अनुरोध पर प्रबन्धक द्वारा वैठक अवश्यमेव युलायी जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति की वैठक की सहमति से प्रबन्धक द्वारा युलाई जायेगी। प्रबन्धकारिणी समिति के 1/3 सदस्यों को लिखित अनुरोध पर प्रबन्धक द्वारा वैठक अवश्यमेव युलायी जायेगी।

**सूचनाओंविधि:** प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में प्रबन्धक द्वारा दी जाएगी।

**गणपूर्ति:** कार्यवाही की वैधता के लिए प्रबन्धकारिणी समिति के  $1/3$  से अधिक सदस्यों की उपरिधित अनिवार्य होती है। परन्तु गणपूर्ति के अभाव में रथगत बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु रथगत बैठक में केवल पूर्व धोषित एजेण्डे पर विचार होता।



प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होता। नवीन प्रबन्धकारिणी का निर्वाचन कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व करा लिया जायेगा। असाधारण परिस्थितियों में प्रबन्धकारिणी का कार्यकाल अध्यक्ष की अनुमति से 6 मास तक बढ़ाया जा सकता है।

**प्रबन्धकारिणी समिति की पूर्ति:** रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रबन्ध समिति के  $1/2$  से अधिक सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए दी जायेगी।

- S.Singh
1. प्रबन्धकारिणी समिति अपने द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं के निर्माण हेतु धन, अनुदान तथा अन्य साधन जनता एवं सरकार से प्राप्त करेगी।
  2. प्रबन्धकारिणी समिति अपने द्वारा स्थापित संस्थाओं के कार्यकाल पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रशासनिक नियन्त्रण रखेगी।
  3. शासन से प्राप्त अनुरक्षण एवं विकास अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना।
  4. संस्था की नियमावली में आवश्यक संशोधन हेतु साधारण सभा के समक्ष अनुमोदन का प्रस्ताव रखेगी।
  5. आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन करना।

**10. प्रबन्धकारिणी समिति पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न हैं—**

**संरक्षक:** संस्था की उन्नति के लिए मार्ग दर्शन देना।  
**अध्यक्ष:** साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना। इसकी आवश्यकतानुसार इनकी बैठकें बुलाने के लिए प्रबन्धक को परामर्श देना, समिति के सदस्यों एवं प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होना।

**उपाध्यक्ष:** अध्यक्ष की अनुपरिधि में अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वाह करना तथा अध्यक्ष को वाचित आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा उसके द्वारा

**लक्ष्य प्रतिनिधि:** सौपे गये दायित्वों का निर्वाहन करना।

वर्ष प्रबन्धक  
सम्मेलनीय सभा प्रियकृ  
क्रमांक संख्या (४७ प्र०)

प्रबन्धकारिणी समिति  
प्रबन्धकारिणी समिति  
प्रबन्धकारिणी समिति

**सूचनाओंविधि:** प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में प्रबन्धक द्वारा दी जाएगी।

**गणपूर्ति:** कार्यवाही की वैधता के लिए प्रबन्धकारिणी समिति के  $1/3$  से अधिक सदस्यों की उपरिधित अनिवार्य होती है। परन्तु गणपूर्ति के अभाव में रथगत बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु रथगत बैठक में केवल पूर्व घोषित एजेण्डे पर विचार होता।



प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होता। नवीन प्रबन्धकारिणी का निर्वाचन कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व करा लिया जायेगा। असाधारण परिस्थितियों में प्रबन्धकारिणी का कार्यकाल अध्यक्ष की अनुमति से 6 मास तक बढ़ाया जा सकता है।

**प्रबन्धकारिणी समिति की पूर्ति:** रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रबन्ध समिति के  $1/2$  से अधिक सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए दी जायेगी।

*S.Singh*

- प्रबन्धकारिणी समिति अपने द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं के निर्माण हेतु धन, अनुदान तथा अन्य साधन जनता एवं सरकार से प्राप्त करेगी।

*N.V.Singh*

- प्रबन्धकारिणी समिति अपने द्वारा स्थापित संस्थाओं के कार्यकाल पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रशासनिक नियन्त्रण रखेगी।

*C.Lal Singh*

- शासन से प्राप्त अनुरक्षण एवं विकास अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना।

*D.C. Chaudhary*

- संस्था की नियमावली में आवश्यक संशोधन हेतु साधारण सभा के समक्ष अनुमोदन का प्रस्ताव रखेगी।

*S. S. Singh*

- आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन करना।

**10. प्रबन्धकारिणी समिति पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न हैं—**

**संरक्षक:** संस्था की उन्नति के लिए मार्ग दर्शन देना।

**अध्यक्ष:** साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना। इसकी आवश्यकतानुसार इनकी बैठकें बुलाने के लिए प्रबन्धक को परामर्श देना, समिति के सदस्यों एवं प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होना।

**उपाध्यक्ष:** अध्यक्ष की अनुपरिधि में अध्यक्ष के दायित्वों का निर्धारण करना तथा

अध्यक्ष को वाचित आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा उसके द्वारा

**लक्ष्य प्रतिनिधि** सौपे गये दायित्वों का निर्धारण करना।

*वर्ष १९७४ तक*  
सम्पूर्ण समितियों तथा प्रियजन  
क्रमांक संख्या (५० पृ०)

*प्रबन्धकारिणी समिति*  
*प्रबन्धकारिणी समिति*  
*प्रबन्धकारिणी समिति*

(5)

प्रबन्धक:

*S.Singh*

*A.K.Singh*

*(अ.कृ.)*



उपप्रबन्धक:

कोषाध्यक्षः

लेखापरीक्षकः

11. संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया: संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन करने हेतु 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो, तभी मान्य होगा।

12. संस्था का कोष: प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पारित प्रत्यावर के अनुसार किसी भी राष्ट्रीयकृत चैक में खाता खोलकर उसे रखा जायेगा। जिसका संचालन कोषाध्यक्ष एवं प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जायेगा।

संस्था प्रतिविधि

प्र. प्रबन्धक  
द्वारा समितियों तथा आडिटर  
कोषाध्यक्ष (१०.५०)

अध्यक्ष के सहमति से साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठकों को बुलाना, समिति से संबंधित समस्त अभिलेखों का संरक्षण एवं सम्भारण करना, तथा 5000/- की धनराशि का तात्कालिक भुगतान करना एवं व्यय पत्रों पर हस्ताक्षर करना, प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रत्यावित कार्यों को सम्पन्न करना, संस्था के विकास एवं सुधार संचालन हेतु नियमानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति, नियकासन एवं वैतन शृङ्खि तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करना एवं उपसमितियों का मनोनयन करना तथा उन समस्त अधिकारों एवं कर्तव्यों को सम्पन्न करना जो इस नियमावली द्वारा प्रदत्त है अथवा नियम विनियम अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जायेंगे एवं कराना। संस्था एवं विद्यालय के हित में मुख्य कार्यपालक एवं नियमक के रूप में आवश्यकतानुसार कार्य करना जिसकी बाद में प्रबन्ध समिति द्वारा ओपरारिक पुष्टि कर ली जायेगी। साधारण सभा/प्रबन्ध समिति की अधियाधित बैठकों को सीधे बुलाने का अधिकार प्रबन्धक का होगा जिसमें किसी से अनुमोदन की आवश्यकता न होगी। सदस्य बनाना तथा सदस्यता शुल्क प्राप्त करना।

प्रबन्धक की अनुपरिधि में प्रबन्धक के सामान्य दायित्वों का निर्वाह करना और उसे आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

संस्था के व्ययों के लिए संसाधनों को जुटाना, वित्त विधेय अभिलेखों का संभरण एवं संरक्षण करना, समिति के रामरत आय-व्ययों की सम्परीक्षा (आडिट) कराना एवं प्रबन्धकारिणी व साधारण सभा से पारित कराना।

संस्था के आय-व्यय का लेखा-जोखा (आडिट) कर संस्था में पेश करना।

11. संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया: संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन करने हेतु 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो, तभी मान्य होगा।

12. संस्था का कोष: प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पारित प्रत्यावर के अनुसार किसी भी राष्ट्रीयकृत चैक में खाता खोलकर उसे रखा जायेगा। जिसका संचालन कोषाध्यक्ष एवं प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जायेगा।

निर्धारित आडिटर द्वारा कालेज के आय-व्यय की सम्परीक्षा प्रति वर्ष कराया जायेगा।

निर्दिष्ट बताए गए  
कालेज कर्मी  
प्रबन्धक कर्मी  
द्वारा दिया जाएगा।

## 13. निर्वाचन प्रक्रिया:

प्रबन्धकारिणी के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन करा लिया जायेगा। इस हेतु अध्यक्ष की देख-रेख में साधारण सभा की धैठक प्रबन्धक द्वारा आहूत की जायेगी, जिसमें गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।

## 15. न्यायालयी दायित्वः

संस्था से सम्बन्धित समस्त वादों का निपटारा सिविल कोर्ट सुलतानपुर में ही होगा। संस्था द्वारा अथवा किसी के विरुद्ध न्यायालयी कार्यवाही का संचालन प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

## 16. संस्था की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण में साधारण सभा

अनिवार्य होगी तथा हस्तान्तरण पत्र पर प्रबन्धक एवं अध्यक्ष का संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

## 17. संस्था के अभिलेखः

संस्था के समस्त अभिलेख जैसे-

1. सदरस्यता पंजिका, 2. कार्यवाही पंजिका, 3. रटाक रजिस्टर,

4. अन्य आवश्यक पंजिका, 5. रोकड़ुयाही (कैशपुक) आदि प्रबन्धक के अधीन रहेंगे। इन अभिलेखों के समस्त दायित्व प्रबन्धक का होगा। प्रबन्धक द्वारा प्रस्तावित साधारण सभा की सूची एवं नियमावली की प्रति अध्यक्ष के पास उपलब्ध रहेगी। संस्था का विघटन एवं विवादित संस्था की सम्पत्ति का निरस्तारण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एकट की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।



दिनांक 27.1.2001

हस्ताक्षर प्रबन्धकारिणी समिति

अ. व. सिंह

कार्य प्रतिविधि

पंजि  
कार्य समितिपाँतवा चिन्ह  
प्रबन्धक (१२५०)

A. V. Singh

(अ. व. सिंह)

अ. व. सिंह

निर्वाचन कर्ता की  
सिद्धान्त संतुष्टि  
11/01/2001